[redacted]

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल

ग्वालियर म.प्र.।

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/6382

प्र.क.

कमलेश आयु 40 साल पुत्र श्री हरगोविंद जाति कुशवाह निवासी ग्राम वावली तह. बासौदा जिला विदिशा म.प्र. .... प्रार्थी,

बनाम

1 मालती वाई आयु 48 साल पत्नी मुन्नालाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम अरनोट तह.कुरवाई जिला विदिशा म.प्र

2 पार्वती वाई आयु 44 साल वेवा कन्हैयालाल कुशवाह निवासी ग्राम वावली तह.बासौदा जिला विदिशा म.प्र.।

3 कृष्णा वाई आयु 35 साल पत्नी शिवराज जाति कुशवाह निवासी अशोका गार्डन भोपाल म.प्र

4 देवका वाई आयु 70 साल वेवा हरगोविंद कुशवाह निवासी ग्राम वावली तह. बासौदा जिला विदिशा म.प्र. ....प्रति प्रार्थी

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता। विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2017 न्यायालय अनुविभागिय अधिकारी गंज बासौदा प्रकरण क.150/अपील/2016–17 व मामले मालती वाई वनाम कलमेश में पारित आदेश के विरूद्ध पुनःरिक्षण याचिका ।

माननीय महोदय,

रिवीजन प्रार्थी निम्न लिखित प्रस्तुत है : –

1 यह कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रति प्रार्थी क.1,2,3 द्वारा इस आशय की अपील प्रस्तुत की कि ग्राम वावली के कृषक हरगोविंद कुशवाह पुत्र दौजा अपनी मृत्यू के समय आ.क.362 रकवा 0.094हे. आ.क.363/1 रकवा 0.068हे. आ.क.402/1 रकवा 1.787हे. आ.क.403 रकवा 0.627 हे. आं.क.404 रकवा 0.951 हे. कुल किता 05 कुल रकवा 3.527 हे. के मालिक काविज भूमि स्वामी दर्ज रिकार्ड थे जिनकी मृत्यू 17 वर्ष पूर्व ग्राम वावली में हो गई है।

2 यह कि हरगोविंद की मृत्यू के समय सजरा अनुसार उनके उत्तराधिकारी इस प्रकार थे। हरगोविंद की कुल पॉच उत्तराधिकारी थी देवकावाई पत्नी, मालती वाई पुत्री, पार्वती वाई पुत्री, कमलेश पुत्र, एवं कृष्णा पुत्री, सभी उत्तराधिकारी अभी जिन्दा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/6382

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/09/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	